प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं. 79/2022 दिनांक 09/03/2022

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें ..... 7,7ए.....
(2) अधिनियम.....भा0द0स0.. धारायें .....120 बी. .....
(3) अधिनियम..... धारायें.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....183.....समय.....6.10 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :– मंगलवार, दिनांक 08.03.2022, समय 1.08 पी0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 25.02.2022, समय 3.15 पीए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पूर्व 45 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता – ग्राम पंचायत सोप तहसील उनियारा जिला टोंक .....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना .....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– ***श्री सद्दाम पुत्र श्री जहरूद्दीन मुसलमान फकीर उम्र 27 साल निवासी देवली ग्राम पंचायत देवली तह0 उनियारा जिला टोंक***
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या.....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– मजदुर/मिस्त्री ।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री हिमाशूं चौधरी पुत्र श्री रामस्वरूप चौधरी उम्र 32 साल निवासी प्लाट नम्बर 06 गौतम कॉलोनी सवाईमाधोपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सोप तह0 उनियारा जिला टोंक**
2. **श्री चिरजीं लाल खटीक पुत्र श्री भोलूराम जाति खटीक उम्र 60 साल निवासी वार्ड नम्बर 03 ग्राम सोप थाना सोप तहसील उनियारा जिला टोंक (सरपंच पति)**
3. **श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री अजीज खान उम्र 29 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 01 ग्राम पंचायत सोप थाना सोप तहसील उनियारा जिला टोंक ई–मित्र संचालक**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– .....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 9,000/– रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 9,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक राज.

विषय :– कार्यवाही करने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि मैं सद्दाम पुत्र श्री जहरूद्दीन मुसलमान फकीर उम्र 27 साल निवासी देवली ग्राम पंचायत देवली तह0 उनियारा जिला टोंक का निवासी हुं तथा ग्राम सोप तह0 उनियारा में मोटर साईकिल सर्विस का काम करता हुं। मैनें मेरे भाई महबूब खां एवं मेरे चाचा मोहम्मद्दीन के नाम से ग्राम पंचायत सोप में अलीगढ–कोटडी मैन रोड पर आबादी क्षैत्र में दो प्लाट ले रखे है। प्रशासन गॉव के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम सोप में सभी के पट्टे बन रहे है, इसलिये मैनें भी हमारे दोनों प्लाट का आवासीय मकान का पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत सोप में आवेदन किया तो पट्टा बनाकर देने के लिये ग्राम विकास अधिकारी श्री हिमांशु चौधरी, ग्राम पंचायत सोप एवं श्रीमति किसकन्दा सरपंच सोप के पति चिंरजी लाल खटीक ने मिलकर मेरे से 1 लाख 60 हजार रूपये की मांग की। मुझे लोन की आवश्यकता होने से मैनें पट्टा बनाने के लिए उन्हें 1 लाख 50 हजार रूपये दे दिये, जिस पर उन्होनें मुझे मेरे भाई महबूब खान के नाम से पट्टा संख्या 12 एवं मेरे चाचा मोहम्मद्दीन पुत्र कमरूद्दीन के नाम से पट्टा संख्या 13 बनाकर दे दिये। जिस पर मैनें तहसील उनियारा में जाकर उक्त पट्टों का पंजीयन करवाना चाहा तो उन्होनें पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत सोप द्वारा जारी रसीद की मांग की। मैनें रसीद के बारें में हिमाशुं जी ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच पति से जानकारी की तो उन्होनें कहा कि आपके दोनों पट्टों की 260–260 रूपये की रसीद संख्या 61 व 62 काट कर रखी है, परन्तु पहले शेष राशी 10 हजार रूपये दो तभी तुम्हे रसीद मिलेगी। रसीद के बिना पट्टों का पंजीयन नहीं हो सकता। मैनें पहले ही इन्हें 1 लाख 50 हजार रूपये दे दिये, मैं अब इन्हें कोई रिश्वत नहीं देना चाहता, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। मेरा इनसे कोई उधार का लेन–देन बकाया नहीं है एवं नाही कोई आपसी रंजिश है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी
श्री सद्दाम पुत्र श्री जहरूद्दीन मुसलमान फकीर
उम्र 27 साल निवासी देवली तह0 उनियारा जिला टोंक
हाल ग्राम पंचायत सोप मो.न. 9079837019

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 25.02.2022 समय 3.15 पी0एम0 पर परिवादी श्री सद्दाम पुत्र श्री जहरूद्दीन मुसलमान फकीर उम्र 27 साल निवासी देवली ग्राम पंचायत देवली तह0 उनियारा जिला टोंक ने एसीबी चौकी टोंक पर उपस्थित होकर मन् आहद खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैनें मेरे भाई महबूब खां एवं मेरे चाचा मोहम्मद्दीन के नाम से ग्राम पंचायत सोप में अलीगढ–कोटडी मैन रोड पर आबादी क्षैत्र में दो प्लाट ले रखे है। प्रशासन गॉव के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम सोप में सभी के पट्टे बन रहे है, इसलिये मैनें भी हमारे दोनों प्लाट का आवासीय मकान का पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत सोप में आवेदन किया तो पट्टा बनाकर देने के लिये ग्राम विकास अधिकारी श्री हिमांशु चौधरी, ग्राम पंचायत सोप एवं सरपंच पति चिंरजी लाल खटीक ने मिलकर मेरे से 1 लाख 60 हजार रूपये की मांग की। मुझे लोन की आवश्यकता होने से मैनें पट्टा बनाने के लिए उन्हें 1 लाख 50 हजार रूपये दे दिये, जिस पर उन्होनें मुझे मेरे भाई महबूब खान के नाम से पट्टा संख्या 12 एवं मेरे चाचा मोहम्मद्दीन पुत्र कमरूद्दीन के नाम से पट्टा संख्या 13 बनाकर दे दिये। जिस पर मैनें तहसील उनियारा में जाकर उक्त पट्टों का पंजीयन करवाना चाहा तो उन्होनें पट्टा जारी करने की ग्राम पंचायत सोप द्वारा जारी रसीद की मांग की। मैनें रसीद के बारें में हिमाशुं जी ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच पति से जानकारी की तो उन्होनें कहा कि आपके दोनों पट्टों की 260–260 रूपये की रसीद संख्या 61 व 62 काट कर रखी है, परन्तु पहले शेष राशी 10 हजार रूपये दो तभी

तुम्हे रसीद मिलेगी। रसीद के बिना पट्टों का पंजीयन नहीं हो सकता। मैनें पहले ही इन्हें 1 लाख 50 हजार रूपये दे दिये, मैं अब इन्हें कोई रिश्वत नहीं देना चाहता, बल्कि ऐसे व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। मेरा इनसे कोई उधार का लेन–देन बकाया नहीं है एवं नाही कोई आपसी रंजिश है।'' प्रार्थना पत्र परिवादी सद्दाम को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र ई–मित्र से लिखवाना तथा स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि ''मैनें मेरे भाई महबूब खां एवं मेरे चाचा मोहम्मद्दीन के नाम से ग्राम पंचायत सोप में अलीगढ–कोटडी मैन रोड पर आबादी क्षैत्र में दो प्लाट लिये थे। उक्त प्लाटों पर मुझे लोन की आवश्यकता होने से मैनें प्लाटों का पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत सोप में आवेदन किया तो ग्राम पंचायत सेकेटरी श्री हिमाशुं एवं सरपंच पति श्री चिंरजी लाल खटीक ने मेरे से 1 लाख 60 हजार रूपये की मांग की मुझे लोन की आवश्यकता होने से मैनें इनके बताये अनुसार मोहम्मद आरिफ जो इनका दलाल है के मार्फत करीब एक महिने पहले इन्हें 1 लाख 50 हजार रूपये दे दिये, जिसकी इन्होनें मुझे कोई रसीद नहीं दी, परन्तु इन्होनें मुझे मेरे भाई महबूब खान के नाम से पट्टा संख्या 12 एवं मेरे चाचा मोहम्मद्दीन पुत्र कमरूद्दीन के नाम से पट्टा संख्या 13 बनाकर दे दिये। उक्त पट्टों के पंजीयन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी रसीद की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में मैनें श्री हिमाशुं ग्राम विकास अधिकारी से पूछा तो उन्होनें कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा 260 रूपये की एक रसीद कटेगी तब पंजीयन होगा। मैनें हिमाशुं जी को रसीद के लिए कहा तो उन्होनें कहा कि पहले शेष 10 हजार रूपये लाओं तभी तुम्हे रसीद मिलेगी तथा सरपंच पति श्री चिंरजीलाल खटीक से मिलने के लिए कहा। जब मैं सरपंच पति श्री चिंरजी लाल से मिला तो वह भी बकाया 10 हजार रूपये की मांग कर रहा है, यदि मैं इन्हें 10 हजार रूपये नहीं दुगां तो यह लोग मुझे रसीद नहीं देगें और मेरे पट्टे का पंजीयन भी नहीं होगा। मैं इन्हें पहले ही रिश्वत के 1 लाख 50 हजार रूपये दे चुका हुं, अब कोई रिश्वत नहीं देना चाहता बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। मेरा इनसे कोई उधार का लेन–देन बकाया नहीं है एवं ना ही कोई आपसी रंजिश है। परिवादी ने दोनों पट्टों की एवं स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किये गये। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने से विभागीय प्रकियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाने हेतु समय 4.05 पी0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि ''मैं आज ही हिमाशुं ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच पति से मिलकर मांग सत्यापन वार्ता कर लुगां।'' अतः कानि0 जलसिंह 248 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। हिमाशुं ग्राम विकास अधिकारी की लोकेशन जानने के परिवादी ने अपने मोबाईल से हिमाशु के मोबाईल पर कॉल किया किया तो हिमाशुं ग्राम विकास अधिकारी ने स्वयं को ट्रेनिंग में टोंक ही होना बताया एवं सोमवार को ग्राम पंचायत सोंप मिलने के लिए कहा। जिस पर परिवादी श्री सद्दाम व जलसिंह कानि0 को सोमवार दिनांक 28.02.2022 को मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु आवश्यक समझाईस की गयी। दिनांक 28.02.2022 समय 9 ए0एम0 पर कानि0 जलसिंह को वॉयस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी से सम्पर्क कर मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु सोप रवाना किया गया। समय 01.50 पी0एम0 पर कानि0 जलसिंह मय परिवादी सद्दाम के उपस्थित कार्यालय आये, कॉनि ने वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी सद्दाम ने बताया कि '' **आज सुबह जलसिहं जी सोप आये तथा हम दोनों ने आपस में फोन से वार्ता कर सोप ग्राम पंचायत के पास पहुंचे, जहां पर जलसिंह जी ने वॉयस रिकार्डर चालू करके मुझे दे दिया तथा खुद बाहर ही रूक गये, मैनें अन्दर जाकर हिमाशूं चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी से मेरी रसीदों के** सम्बन्ध में

वार्ता की उसने आधे घण्टे बाद रसीद देने की हां कर दी, मैनें पट्टों के सम्बन्ध में पूर्व में मोहम्मद आरिफ को दी गयी राशि 1 लाख 50 हजार रूपये राशि के सम्बन्ध पूछा तो उसनें कुछ नहीं कहा तथा शेष राशि के सम्बन्ध में सरपंच पति श्री चिरजींलाल से बात करने के लिए कहा है। थोड़ी देर बाद चिरंजीलाल सरपंच पति भी वहीं पर आ गया, जिसे मैनें पूर्व में दिये गये 1 लाख 50 हजार का हवाला देते हुये शेष 10 हजार रूपये में से कुछ कम करने की कहने पर उसने 1000 रूपये कम देने की हां कर ली यानि अब मुझे ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच पति को 9000 रूपये देने है जब वह मुझे रसीद देगें। इसके बाद मैंनें बाहर आकर वॉयस रिकार्डर जलसिंह जी को दे दिया जिन्होनें उसे बन्द करके अपने पास रख लिया। इसके बाद हम दोनों वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आये है। उक्त समस्त वार्ता आपके डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है।" कानि0 जलसिंह ने भी परिवादी के कथनों की ताईद की। कानि0 द्वारा प्रस्तुत वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा एक माह पूर्व 1 लाख 50 हजार रूपये देने के पश्चात् भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अभी तक कोई रसीद नहीं देना पाया गया है, ग्राम विकास अधिकारी ने रसीदें स्वयं के पास ही होना कहा है एवं सरपंच पति श्री चिरंजीलाल ने परिवादी को 1000 रूपये कम देने के लिए कहा है। इस प्रकार रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया परिवादी व कानि0 के कथनों की ताईद हुयी। परिवादी ने बताया कि "हिमाशुं ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति चिरंजीलाल आज ही मेरे से पैसे लेगें तभी मेरी रसीद देगें।" इस समय अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से खनि–अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब करने हेतु श्री राजकुमार कानि0 160 को रवाना किया गया। समय 2.20 पी0एम0 पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाह 1–श्री आलोक पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 32 साल निवासी ग्राम रामसर पालावाला तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल सूचना सहायक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता खनिज विभाग टोंक मोबाईल नम्बर 7737000333, 2–श्री सुमित सिंह पुत्र श्री लादू लाला जाट जाति जाट उम्र 32 साल निवासी 15–ई आदर्श नगर बर्फ फेक्ट्री के सामने टोंक हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता खनिज विभाग टोंक मोबाईल नम्बर 9413113388 उपस्थित आये। दोनों गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2022 गवाहान को पढाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादीगण व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय 02.40 पी0एम0 पर परिवादी सद्दाम को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 18 नोट कुल 9,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर नोटो के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री महेश कुमार कानि0 17 से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 9 हजार रूपये आरोपी को देने के लिए परिवादी के शरीर पर पहने हुये पजामें की बांयी जेब में कोई शः नही छोडते हुए महेश कुमार कानि से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी सद्दाम को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने सिर पर बन्धा हुआ मफलर खोलकर हाथ में लेने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 2.55 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त

पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ सर्वश्री मोहम्मद जुनैद है0का0 32, मनोज कुमार है0का0 119, राजकुमार कानि0 160, जलसिंह कानि0 248, श्री गजेन्द्र सिंह कानि0 25 एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान तथा परिवादी सद्दाम तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, वॉयस रिकार्डर (जिसमें खाली मेमोरी कार्ड) के प्राईवेट वाहन एवं परिवादी की मोटर साईकिल से सोप रवाना हुए। समय 3.55 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान के ग्राम सोप से थोड़ा पहले साईड में रोड़ पर रूका, एवं परिवादी सद्दाम को रिश्वत लेन–देन से सम्बन्धित वार्ता रिकार्ड करने हेतु श्री जलसिंह कानि0 से वॉयस रिकार्डर चालू करवाकर देकर ग्राम पंचायत सोप के भवन में रवाना किया एवं स्टाफ के सभी सदस्यों को अपनी–अपनी उपस्थिती छिपाते हुये, रिश्वत राशि प्राप्ति के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम किया गया। समय 04.10 पी0एम0 पर परिवादी सद्दाम ग्राम पंचायत सोप से बाहर निकला, परन्तु उसने रिश्वत राशि प्राप्ति का निर्धारित ईशारा नहीं किया। परिवादी ने मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये बताया कि ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत में नहीं है, वह आज जल्दी जाने के लिए कह रहा था, शायद वो निकल गया है। जिस पर समय 04.15 पी0एम0 पर परिवादी सद्दाम के मोबाईल नम्बर 9079837019 से आरोपी श्री हिमाशुं चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी के मोबाईल नम्बर 9460236473 पर कॉल कर उसकी लोकेशन के बारें में जानकारी करवायी तो ग्राम विकास अधिकारी ने स्वयं को अलीगढ़ होना बताया तथा कल दिनांक 01.03.2022 को छुट्टी होने से दिनांक 02.03.22 को ग्राम पंचायत सोप पर आना कहा। परिवादी ने बताया कि "हिमाशुं चौधरी के पास 2–3 ग्राम पंचायतों का और चार्ज है, इसलिये वो रोज ग्राम पंचायत सोप पर नहीं आता है, हिमाशुं चौधरी के आने पर मैं आपको सूचित कर दूगां।" जिस पर गवाह श्री आलोक से परिवादी के जेब में रखी रिश्वत राशि निकलवाकर एक लिफाफे में सुरक्षित रख साथ ली गयी। परिवादी को समझाईस की गयी की आरोपीगणों का फोन आते ही उनसे मिलने से पूर्व हमें सुचित करें। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के समय 4.40 पीएम पर सोप से टोंक हेतु रवाना होकर समय 5.45 पीएम पर एसीबी चौकी टोंक पहुंचा, वॉयस रिकार्डर एवं रिश्वत राशि के लिफाफे को सुरक्षित अलमारी में रखा गया। स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने हेतु आवश्यक समझाईस कर रूख्सत किया गया। दिनांक 08.03.2022 समय 10.10 ए0एम0 पर परिवादी श्री सद्दाम ने जरिये टेलिफोन हैड0कानि0 मोहम्मद जुनैद को बताया कि आज हिमाशुं चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत भवन सोप पर ही है, आज मैं पैसे देकर मेरी रसीद लेने जाउंगा। जिस पर परिवादी को नेशनल हाईवे आमली मोड़ पर ही मिलने हेतु आवश्यक समझाईस की गयी। **समय 10.15 ए0एम0 पर** अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से खनि–अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक से पूर्व के पाबन्दशुदा गवाहों को भिजवाने हेतु खनि–अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग टोंक को जरिये फोन अवगत करवाया गया, खनि–अभियन्ता ने पूर्व के गवाह अन्य कार्य में व्यस्त होने से दुसरे दो गवाह भिजवाने हेतु सहमति जाहिर की। **समय 10.30 ए0एम0 पर** तलबशुदा स्वतंत्र गवाह श्री भगवान सहाय पुत्र श्री शंकर लाल जाति गुर्जर उम्र 26 साल निवासी खण्डदेवत तहसील निवासी जिला टोंक हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता खनिज विभाग टोंक मोबाईल नम्बर 9667016231, 2–श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह नाथावत जाति राजपुत उम्र 55 साल हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता खनिज विभाग टोंक मोबाईल नम्बर 9414819231 उपस्थित आये। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 25.02.2022 गवाहान को पढाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर गवाहान को मांग सत्यापन

वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित वॉयस रिकार्डर को स्वयं के पास ही सुरक्षित रखा गया। समय 11.05 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ सर्वश्री मोहम्मद जुनैद है0का0 32, मनोज कुमार है0का0 119, राजकुमार कानि0 160, जलसिंह कानि0 248, श्री महेश कुमार कानि0 17, श्री भूपेन्द्र सिंह एएओ एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, वॉयस रिकार्डर (जिसमें खाली मेमोरी कार्ड) एवं रिश्वत राशि का लिफाफा श्री भूपेन्द्र सिंह एएओ के पास सुरक्षित रख साथ लिया गया, एवं प्राईवेट वाहन के डेशबोर्ड में फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी रखकर सोप रवाना हुए। समय 12.05 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान के नेशनल हाईवे पर आमली मोड़ के पास पहुंचा, जहां पर परिवादी उपस्थित मिला, जिसे हमराह लेकर आमली मोड़ से पाटौली गांव जाने वाले रास्ते पर थोड़ा आगे जाकर रूके। जहां पर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहों का आपस में परिचय करवाया गया, पुनः की जा रही ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत करवाया। समय 12.15 पी0एम0 पर परिवादी सद्दाम द्वारा पूर्व में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि का लिफाफा पेश करने का कहने पर श्री भूपेन्द्र कुमार एएओ ने उक्त लिफाफा पेश किया, लिफाफे से रिश्वत राशि बाहर निकलवाकर गवाहों से गिनवाये गये तो 500–500 रूपये के 18 नोट कुल 9,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के होना पाया गया। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर नोटो के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री भूपेन्द्र कुमार एएओ से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 9 हजार रूपये आरोपी को देने के लिए परिवादी के शरीर पर पहने हुये पजामें की बांयी जेब में कोई शः नही छोडते हुए श्री भूपेन्द्र कुमार एएओ से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी सद्दाम को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने सिर पर सोफी (तौलिया) बांधने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई एवं इसके पश्चात् श्री भूपेन्द्र सिंह एएओ को फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी देकर वही से टोंक के लिए रवाना कर दिया तथा समस्त स्टाफ के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से साथ लेकर मय हमराहियान के सोप की तरफ रवाना होकर समय 12.36 पी0एम0 पर ग्राम सोप से थोड़ा पहले साईड में रोड़ पर रूका, एवं परिवादी सद्दाम को रिश्वत लेन–देन से सम्बन्धित वार्ता रिकार्ड करने हेतु श्री जलसिंह कानि0 से वॉयस रिकार्डर चालू करवाकर देकर ग्राम पंचायत सोप के भवन में रवाना किया एवं स्टाफ के सभी सदस्यों को अपनी–अपनी उपस्थिती छिपाते हुये, रिश्वत राशि प्राप्ति के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम किया गया। समय 1.08 पीएम पर परिवादी श्री सद्दाम ने ग्राम पंचायत भवन सोप से निकलते हुये अपने सिर पर साफी बांधते हुये रिश्वत राशि प्राप्ति से सम्बन्धित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये बताया कि मैनें हिमाशुं चौधरी के कहने पर रिश्वती राशि 9000 रूपये उनके कमरे में बैठे हुये ई–मित्र संचालक श्री मोहम्मद आरिफ को दे दिये है। जिसने रूपये लेकर अपने जिन्स पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये है। जिस पर परिवादी का हमराह लेकर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ग्राम पंचायत भवन सोप के मुख्य द्वार से प्रवेश हुआ तभी सामने से हरे रंग की शर्ट पहने हुये एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिये, जिसके लिए परिवादी ने बताया कि यही मोहम्मद आरिफ है। उक्त व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री

अजीज खान उम्र 29 वर्ष जाति मुसलमान (तेली) निवासी वार्ड नम्बर 01 ग्राम पंचायत सोप थाना सोप तहसील उनियारा जिला टोंक हाल **ई–मित्र संचालक** होना बताया, जिसे हमराह लिया गया एवं पंचायत भवन में प्रवेश हुआ जहां पर दाहिनी तरफ एक कमरे में सामने की तरफ कुर्सी पर चश्मा लगाये हुये एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला, तथा उसके बांयी तरफ कुर्सी पर एक अन्य व्यक्ति कुर्ता–पजामा व जाकेट पहने हुये बैठा मिला। परिवादी ने सामने की कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति को हिमाशुं चौधरी ग्राम विकास अधिकारी एवं बांयी तरफ बैठे हुये व्यक्ति को सरपंच पति श्री चिरजीलाल होना बताया। उक्त व्यक्तियों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये उनसे उनका नाम पता पूछा तो एक ने स्वयं को हिमाशूं चौधरी पुत्र श्री रामस्वरूप चौधरी उम्र 32 साल निवासी प्लाट नम्बर 06 गौतम कॉलोनी सवाईमाधोपुर हाल **ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम पंचायत सोप तह0 उनियारा जिला टोंक तथा दुसरे ने अपना नाम चिरजीं लाल खटीक पुत्र श्री भोलूराम जाति खटीक उम्र 60 साल निवासी वार्ड नम्बर 03 ग्राम सोप थाना सोप तहसील उनियारा जिला टोंक **(किसकन्दा सरपंच, ग्रा0प0 सोप का पति)** होना बताया। श्री हिमाशुं चौधरी ग्राम विकास अधिकारी को परिवादी से प्राप्त की गयी रिश्वत राशि 9000 रूपये के बारे में पूछा तो वह घबरा गया तथा फिर बोला "**मैनें इससे कोई रिश्वत नहीं ली है, ना ही मैनें कोई रिश्वत की मांग की है।**" इस पर उपस्थित परिवादी श्री सद्दाम ने स्वतः ही बताया कि "**हिमाशुं चौधरी झुंठ बोल रहा है**, मैनें मेरे भाई महबूब खां एवं मेरे चाचा मोहम्मद्दीन के नाम से ग्राम पंचायत सोप में अलीगढ–कोटडी मैन रोड पर आबादी क्षैत्र में दो प्लाट लिये थे। मैनें उक्त प्लाटों का पट्टा बनाने के लिए ग्राम पंचायत सोप में आवेदन किया तो ग्राम पंचायत सेकेटरी श्री हिमाशुं एवं सरपंच पति श्री चिंरजी लाल खटीक ने मेरे से 1 लाख 60 हजार रूपये की मांग की, तथा मेरे से 1 लाख 50 हजार रूपये लेकर मुझे पट्टा संख्या 12 एवं 13 बनाकर दे दिये, परन्तु किसी भी प्रकार की रसीद नही दी थी। तहसील कार्यालय उनियारा में उक्त पट्टों के पंजीयन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा जारी रसीद की आवश्यकता होने से मैनें श्री हिमाशुं ग्राम विकास अधिकारी से पूछा तो उन्होनें कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा 260 रूपये की एक रसीद कटेगी तब पंजीयन होगा। मैनें हिमाशुं जी को रसीद के लिए कहा तो उन्होनें कहा कि पहले शेष 10 हजार रूपये लाओं तभी तुम्हे रसीद मिलेगी तथा सरपंच पति श्री चिंरजीलाल खटीक से मिलने के लिए कहा। जब मैं सरपंच पति श्री चिंरजी लाल से मिला तो इसने भी बकाया 10 हजार रूपये की मांग की मेरे द्वारा कुछ कम करने का निवेदन करने पर 1000 रूपये कम करते हुये 9000 रूपये लेने पर राजी हुये थे। इन दोनों की मांग के अनुसार ही मैनें आज हिमाशुं जी को 9000 रूपये दिये थे, जो इन्होनें इनके कार्यालय में बैठे हुये ई–मित्र संचालक श्री मोहम्मद आरिफ को दिलवाये थे।" जिस पर आरोपी हिमाशुं चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि **"सद्दाम के दो पट्टे बनाने थे, ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ाने के लिए मैनें उसे दोनों प्लाटों के पट्टे देने के बदले 1 लाख 60 हजार रूपये का खर्चा बताया था, सद्दाम ने 1 लाख 50 हजार रूपये दे दिये थे, जिस पर मैनें 1 लाख 50 हजार रूपये की रसीद काट दी थी, परन्तु रसीदें मेरे पास ही पड़ी थी, जो मैनें आज सद्दाम को दी है।"** जिस पर परिवादी ने आज दिनांक 08.03.2022 को हिमाशूं चौधरी द्वारा दी गयी रसीद संख्या 61, 62 दिनांक 09.01.22 राशि 260–260 रूपये एवं रसीद संख्या 63, 64 दिनांक 18.01.22 राशि 40,000–40,000 रूपये की पेश करते हुये बताया कि "**आज हिमाशुं जी ने मुझे यह चार रसीदें दी थी, मैनें तो हिमाशुं जी से पट्टा बनवाने के लिए काम आने वाली 260 रूपये वाली रसीद मांगी थी, परन्तु इन्होनें 260–260 रूपये की रसीद के साथ 40–40 हजार रूपये की दो रसीदें ओर दी है, 40–40 हजार रूपये की यह दो रसीदें आज इन्होनें मुझे किसलिये दी है मुझे पता नहीं है।**" जिस पर आरोपी हिमाशूं

चौधरी को ग्राम पंचायत सोप की रसीद बुक, परिवादी के पट्टे की पत्रावली एवं केश बुक पेश करने की कहने पर आरोपी हिमाशुं चौधरी ने तीन रसीद बुकें, दो पट्टा पत्रावलियां पेश की, केश बुक स्वयं के आवास (सवाईमाधोपुर) होना बताया। प्रस्तुत रिकार्ड/दस्तावेजात को साथ लिया गया। इसके पश्चात् आरोपी मोहम्मद आरिफ को परिवादी से प्राप्त की गयी 9000 रूपये रिश्वत राशि के बारें में पूछा तो मोहम्मद आरिफ ने बताया कि "मैं ई–मित्र संचालक हुं, ई–मित्र के सम्बन्ध से मुझे ग्राम पंचायत सोप में काम रहता है। हिमाशुं चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी एवं चिरजीलाल सरपंच पति का ई–मित्र से सम्बन्धित काम में ही करता हु। आज भी मैं हिमाशुं चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी के साथ प्लाटों का नाप करके आया था, जब हम ग्राम पंचायत भवन सोप पहुंचे तो सद्दाम ग्राम पंचायत में ही मौजूद था, जिसने हिमाशुं जी से अपने पट्टे की रसीदें मांगी तो हिमाशुं जी ने सद्दाम को रसीदें दे दी व 9000 रूपये मुझे दिलवाये थे, जो मैनें हिमाशुं जी के कहने से लेकर अपनी पहनी हुयी जिन्स पेन्ट की बांयी जेब में रखे थे, तभी आपने मुझे पकड़ लिया।" जिस पर परिवादी ने बताया कि "मोहम्मद आरिफ झुंठ बोल रहा है, यह ग्राम विकास अधिकारी तथा सरपंच पति का दलाल है, पहले भी हिमाशू चौधरी ग्राम विकास अधिकारी एवं सरपंच पति चिरजीलाल खटीक के लिए 1 लाख 50 हजार रूपये इसी ने लिये थे।" जिस पर मोहम्मद आरिफ से पूर्व में लिये गये 1 लाख 50 हजार रूपये के बारें मे पूछा तो उसने बताया कि "यह सही है कि मैनें पहले भी सद्दाम से हिमाशूं जी एवं चिरजींलाल जी के कहे अनुसार 1 लाख 50 हजार रूपये लिये है, परन्तु वो राशि मैनें सरपंच पति चिरजीलाल जी की मौजूदगी में हिमाशुं जी को दे दी थी।" इसके पश्चात् उपस्थित आरोपी चिरजीलाल को परिवादी से प्राप्त की गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी श्री चिरजीं लाल खटीक ने बताया कि "सद्दाम के दो प्लाटों के पट्टे बनाने एवज में 1 लाख 50 हजार रूपये का खर्चा था। सद्दाम ने 1 लाख 50 हजार रूपये आरिफ को ही दिये थे, आरिफ ने मेरे सामने ही रूपये लाकर हिमाशुं, ग्राम विकास अधिकारी को दे दिये थे, परन्तु सेकेटरी ने रसीदें नहीं दी थी, दिनांक 28.02.2022 को सद्दाम मेरे पास आया तथा मुझे कहा कि हिमाशुं सेकेटरी साहब रसीदें देने के नाम से मुझसे 10 हजार रूपये और मांग रहे है, जिस पर मैनें उसे एक हजार रूपये कम देने के लिए कह दिया था, क्योंकि मैं तो स्थानीय निवासी हुं, इस कारण मुझे पंचायत के लोगों का कहना भी मानना पड़ता है, साथ ही सरपंच पति होने से मैं सेकेटरी के साथ भी काम करता हुं। सेकेटरी हिमाशूं चोधरी के पास सोप पंचायत के अलावा अन्य 2–3 पंचायतों का भी चार्ज है, मेरी पंचायत के काम निकलवाने के लिए बार–बार फोन करने पर ही सेकेटरी आता है, इस कारण मैं सेकेटरी हिमाशूं चौधरी के काम का विरोध नहीं कर पाता हुं। आज सद्दाम मेरे कहे अनुसार हिमाशूं सेकेटरी को 9000 रूपये देने आया था, जिसको मैनें ही सेकेटरी के पास भेजा था तथा सेकेटरी को भी 10 हजार के स्थान पर 9000 रूपये लेने के लिए कहा था।" इसके पश्चात् गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में वहीं से साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी श्री मोहम्मद आरिफ के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कांच के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी मोहम्मद आरिफ के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो

धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी मोहम्मद आरिफ के बताये अनुसार रिश्वत राशि उसके पहने हुये पेन्ट की बांयी जेब में है, अतः स्वतंत्र गवाह श्री भगवान से रिश्वत राशि निकलवायी तो 500–500 रूपये के नोटों में लिपटे कुछ नोट निकले, जिन्हें गवाहों से गिनवाये गये तो 500–500 रूपये 18 नोट कुल 9,000 रूपये होना पाये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार है

1.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2CM	289846
2.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5KF	325532
3.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5NC	007848
4.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5AG	030184
5.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0MV	255993
6.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2WK	024490
7.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1TW	371217
8.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2BV	909702
9.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5EU	768976
10.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7SE	618301
11.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7BM	679091
12.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8PW	423604
13.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1CM	506463
14.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4VF	008015
15.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6DV	466347
16.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8GN	406991
17.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6RN	324318
18.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4EA	762725

उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। घटनास्थल पर ग्रामवासियों के एकत्रित हो जाने से सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहि स्टाफ, स्वतंत्र गवाह एवं आरोपीगण श्री हिमाशुं चौधरी, श्री चिरजीलाल खटीक एवं श्री मोहम्मद आरिफ को हमराह लेकर रवाना होकर इस समय पुलिस थाना सोप पहुंचा एवं अग्रिम कार्यवाही शुरू की। आरोपी मोहम्मद आरिफ के पहनने हेतु एक पजामें की व्यवस्था कर उसके पहने हुये जिन्स पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर पेन्ट की बांयी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी उसके धोवण हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल में पेन्ट की बांयी जेब को डूबोकर धुलवाया गया तो

धोवण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त पेन्ट की जेब को सुखाकर जिन्स पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क **पी** अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। परिवादी से सम्बन्धित आरोपी हिमाशूं चौधरी द्वारा पेश रिकार्ड का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि ग्राम पंचायत सोप में वर्तमान में तीन रसीद बुक चल रही है, **उक्त तीनों रसीद बुकों में पुस्तक संख्या अंकित नहीं है।** जिनमें **एक रसीद बुक** दिनांक 17.02.2021 से चालू होकर क्र0स0 1 से 86 तक रसीद कटी हुयी है, जिसमें रसीद संख्या 63 दिनांक 18.01.22 राशि 40 हजार रूपये महबुब/जहरूद्दीन व रसीद संख्या 64 दिनांक 18.01.22 राशि 40 हजार रूपये मोहम्मदीन/कमरूद्दीन के नाम से कटी हुयी है एवं शेष रसीद बुक खाली है, **दुसरी रसीद बुक** प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 पट्टा रसीद बुक है, जिसमें क्र0स0 1 से 79 दिनांक 25.11.21 से 15.01.22 तक रसीद कटी हुयी है, जिसमें क्र0स0 61 दिनांक 09.01.2022 राशि 260 रूपये महबुब/जहरूद्दीन व रसीद संख्या 62 दिनांक 09.01.22 राशि 260 रूपये मोहम्मदीन/कमरूद्दीन के नाम से कटी हुयी है एवं शेष रसीद बुक खाली है, उक्त दोनों रसीद बुकों के अतिरिक्त **तीसरी रसीद बुक** है, जिसमें क्र0स0 1 की रसीद मौजूद नहीं है तथा क्र0स0 2 की रसीद खाली है एवं रसीद संख्या 3 दिनांक 20.01.22 राशि 40 हजार रूपये मोहम्मदीन/कमरूद्दीन के नाम से, रसीद संख्या 4 दिनांक 20.01.22 राशि 40 हजार रूपये महबुब/जहरूद्दीन के नाम से कटी होकर रसीद संख्या 3 व 4 की दुसरी प्रति भी रसीद बुक में रखी हुयी है। रसीद संख्या 5 निरस्त की हुयी है। रसीद संख्या 6 दिनांक 22.01.22 राशि 35 हजार रूपये मोहम्मदीन/कमरूद्दीन के नाम से, रसीद संख्या 4 दिनांक 22.01.22 राशि 35 हजार रूपये महबुब/जहरूद्दीन के नाम से कटी हुयी है। रसीद बुक संख्या 3 में परिवादी से सम्बन्धित रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई रसीद नहीं है एवं उक्त रसीदों में से एक भी रसीद परिवादी को नहीं दी गयी है, **उक्त रसीद बुकों में पुस्तक संख्या अंकित नहीं है।** परिवादी के पट्टों से सम्बन्धित पत्रावलियों में पूर्ण इन्द्राज नहीं है पत्रावलियों के अवलोकन से पाया कि परिवादी से सम्बन्धित दोनों पट्टे पुराने गृहों का विनियमितीकरण नियम 157–(1) के तहत दिये गये है, जिसमें निर्धारित राशि 260 रूपये लेकर पट्टा दिया जाना था, परन्तु आरोपीगणों ने परिवादी से दोनों पट्टों के 1 लाख 50 हजार रूपये प्राप्त कर लिये थे तथा आज दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री हिमाशूं चौधरी ग्राम विकास अधिकारी ने 40–40 हजार रूपये की 2 एवं 260–260 रूपये की 2 कुल 4 रसीदें परिवादी श्री सद्दाम को दी है। परिवादी को दिनांक 25.11.21 को ही पट्टा जारी हो चुका था, उक्त सभी रसीदें पट्टा जारी होने के पश्चात् काटी गयी है। आरोपी हिमाशूं द्वारा परिवादी से उसके पट्टों के सम्बन्ध में प्राप्त की गयी राशि एवं रसीदों में अंकित राशि में काफी अन्तर है। जिससे स्पष्ट है कि आरोपीगणों द्वारा परिवादी से पूर्व में 1 लाख 50 हजार रूपये लेने के पश्चात् परिवादी पर शक होने से आरोपियों ने अपने बचाव में यह रसीदें काटी है। परिवादी के पट्टों से सम्बन्धित दोनों पत्रावली एवं तीनों मूल रसीद बुको के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठ पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रसीद संख्या 61,62,63 व 64 की फोटोकॉपी करवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही की गयी। मूल रसीदें परिवादी को सुपुर्द की गयी। समय **03.05 पी0एम0 पर** आरोपी **श्री हिमाशूं चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम पंचायत सोप तह0 उनियारा जिला टोंक को **समय 03.15 पी0एम0 पर सरपंच पति श्री चिरजीलाल खटीक** को एवं **समय 03.25 पी0एम0पर श्री मोहम्मद आरिफ ई–मित्र संचालक** उसके जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए

हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय 3.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह एसीबी स्टाफ मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाह तथा आरोपीगण श्री हिमाशूं चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी, श्री चिरंजीलाल सरपंच पति एवं श्री मोहम्मद आरिफ ई–मित्र संचालक मय समस्त आर्टिकल्स् के पुलिस थाना सोप से ग्राम पंचायत भवन सोप हेतु रवाना होकर समय 3.40 पीएम ग्राम पंचायत भवन सोप पहुंचा एवं परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में नक्शा मौका घटनास्थल मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, बाद फारिग समय 3.55 पीएम पर एसीबी चौकी टोंक रवाना होकर समय 4.40 पीएम पर एसीबी चौकी टोंक पहुचां। जहां पर **समय 5.15 पी0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री जलसिंह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 05 खाली सीडीयों में राईट कर चार सीडीयों को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क **ए–1,ए–2,ए–3,ए–4** अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। समय 07.15 पी0एम0पर रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त रूबरू वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री जलसिंह कानि0 248 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 5 खाली सीडीयों में राईट कर चार सीडीयों को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क **बी–1,बी–2,बी–3,बी–4** अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। इसी बीच आरोपीगणों को खाना खिलवाया गया। **समय 09.45 पी0एम0 पर** रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 8–8 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क **"एम"** अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। **समय 10.00 पी0एम0 पर** स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिब की गई एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया, आरोपियों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। इसके पश्चात् ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स जमा मालखाना करवाये गये। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीडीयां तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से पाया गया कि आरोपी **श्री हिमाशूं चौधरी** पुत्र श्री रामस्वरूप चौधरी उम्र 32 साल निवासी प्लाट नम्बर 06 गौतम कॉलोनी सवाईमाधोपुर हाल **ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम पंचायत सोप तह0 उनियारा जिला टोंक ने लोक सेवक होते हुए **सरपंच पति श्री चिरजीलाल खटीक एवं श्री मोहम्मद आरिफ ई–मित्र संचालक** से आपस में मिलीभगत कर अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री सद्दाम को उसके पट्टों की रसीद देने की एवज में दौरानें मांग सत्यापन रिश्वत के सम्बन्ध में सरपंच पति चिरंजीलाल से सम्पर्क करने हेतु कहना, सरपंच पति चिरजींलाल द्वारा 10 हजार रूपये में से 1000 रूपये कम करते हुये 9000 रूपये रिश्वत की मांग करना तथा दिनांक 08.03.2022 दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी हिमाशूं चौधरी, ग्राम विकास

अधिकारी द्वारा आरोपी श्री मोहम्मद आरिफ ई–मित्र संचालक के मार्फत 9000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त किये, आरोपी मोहम्मद आरिफ ने रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण कर अपने पहने हुये जिन्स पेन्ट की बांयी जेब में रखी, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी। आरोपीगणों का उक्त कृत्य अपराध धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 एवं 120 बी0 भा0द0स0 जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः आरोपी 1–श्री हिमाशूं चौधरी पुत्र श्री रामस्वरूप चौधरी उम्र 32 साल निवासी प्लाट नम्बर 06 गौतम कॉलोनी सवाईमाधोपुर हाल **ग्राम विकास अधिकारी** ग्राम पंचायत सोप तह0 उनियारा जिला टोंक 2–श्री चिरजीं लाल खटीक पुत्र श्री भोलूराम जाति खटीक उम्र 60 साल निवासी वार्ड नम्बर 03 ग्राम सोप थाना सोप तहसील उनियारा जिला टोंक **(सरपंच पति)** 3– श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री अजीज खान उम्र 29 वर्ष जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 01 ग्राम पंचायत सोप थाना सोप तहसील उनियारा जिला टोंक **ई–मित्र संचालक** के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

(आहद खान)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आहद खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री हिमांशु चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सोप तहसील उनियारा जिला टोंक, 2. श्री चिरंजी लाल खटीक, पुत्र श्री भोलूराम निवासी वार्ड नम्बर 03, ग्राम सोप पुलिस थाना सोप तहसील उनियारा, जिला टोंक (सरपंच पति) एवं 3. श्री मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री अजीज खान, निवासी वार्ड नम्बर 01, ग्राम पंचायत सोप, तहसील उनियारा, जिला टोंक ई-मित्र संचालक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 79/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9/3/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 709-13 दिनांक 9.3.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, टोंक।
4. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

9/3/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।